01 जून 2018 से विदशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017, दिनांक 7 नवंबर 2017 के तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदशी पोर्टफोलियो निवशकों (एफपीआई) और स्टॉक एक्सचेंजों में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा खरीद/बिक्री के कारण विदशी निवश सीमाओं की निगरानी उपर्युक्त सेबी परिपत्रों में वर्णित नई निगरानी प्रणाली के अनुसार शासित होगी। अतः इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी पूर्व की प्रेस प्रकाशनी नई निगरानी प्रणाली द्वारा अधिक्रमित होंगे।

विदशी संस्थागत निवशकों के लिए समग्र निवश की उच्चतम सीमा भारतीय कंपनी की चुकता पूंजी का 24 प्रतिशत और अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत है। यह सीमा भारतीय स्टेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में प्रदत्त पूंजी का 20 प्रतिशत है.

विदशी संस्थागत निवशक निवश के लिए 24 प्रतिशत की सीमा को क्षेत्र की उच्चतम सीमा/सांविधिक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, जो बोर्ड के अनुमोदन और उस प्रभाव के लिए विशष समाधान पारित करने के अधीन है। और अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत की सीमा को उस प्रभाव का समाधान पारित करने वाली कंपनी की सामान्य निकाय के अनुमोदन के अधीन 24 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है.

विदशी संस्थागत निवशकों के लिए उच्चतम सीमा अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए 10/24 प्रतिशत की सीमा से स्वतंत्र है.

निर्धारित सीमाओं के भीतर कंपनियों के इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर निम्नलिखित के अधीन खरीद के लिए उपलब्ध हैं:

- प्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर सभी अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की कुल खरीद, (क) कंपनी की कुल संदत्त इक्विटी पूंजी के 24 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर और (ख) परिवर्तनीय डिबेंचर की प्रत्येक श्रृंखला के कुल संदत्त मूल्य का 24 प्रतिशत; और

- इक्विटी शेयरों में किसी एकल अनिवासी भारतीय/ पीआईओ द्वारा प्रत्यावर्तन के आधार पर किया गया निवेश और परिवर्तनीय डिबेंचर कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं या कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल प्रदत्त मूल्य का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है.

विदेशी निवेशों की निगरानी

भारतीय रिज़र्व बैंक दैनिक आधार पर भारतीय कंपनियों में एफआईआई/एनआरआई/पीआईओ निवेशों की सीमाओं पर निगरानी करता है। विदेशी निवेश सीमा की प्रभावी निगरानी के लिए, रिज़र्व बैंक ने कट-ऑफ पॉइंट निर्धारित किए हैं जो वास्तविक सीमा से दो प्रतिशत अंक कम हैं। उदाहरण के लिए कट-ऑफ पॉइंट उन कंपनियों के लिए 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जिनमें अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति है। 24 प्रतिशत सीमा वाली कंपनियों के लिए कट-ऑफ सीमा 22 प्रतिशत है और 30 प्रतिशत सीमा वाली कंपनियों के लिए 28 प्रतिशत और इसी प्रकार है। इसी प्रकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक सहित) के लिए कट-ऑफ सीमा 18 प्रतिशत है.

एक बार एफआईआई/एनआरआई/पीआईओ द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों की कुल निवल खरीद कट-ऑफ

पॉइंट तक पहुंच जाती है, जो कि समग्र सीमा से 2% कम है, रिज़र्व बैंक अनुमानित बैंक शाखाओं को इस प्रकार से कि एफआईआई/एनआरआई/पीआईओ की ओर से रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना संबंधित कंपनी के कोई और इक्विटी शेयर न खरीदने के लिए। इसके बाद लिंक कार्यालयों को विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से खरीद हेतु प्रस्तावित कंपनी के इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल संख्या और मूल्य के बारे में रिज़र्व बैंक को सूचित करना होगा। ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक प्रथम-आय-प्रथम सेवा के आधार पर जब तक कि कंपनियों में ऐसे निवेश 10/24/30/40/ 49 प्रतिशत सीमा तक नहीं पहुंच जाते या क्षेत्र की उच्चतम सीमा/सांविधिक सीमा तक लागू नहीं हो जाते। समग्र सीमा सीमा तक पहुंचने पर, रिज़र्व बैंक सभी नामित बैंक शाखाओं को अपने विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के ग्राहकों की ओर से खरीद रोकने के लिए सूचित करता है। रिज़र्व बैंक इन कंपनियों में सामान्य जनता को प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 'विचार' और 'खरीद को रोकने' के बारे में भी सूचित करता है।